भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1044

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा पर्ची वाली दवाओं की बिक्री

+1044. श्री अतुल गर्ग:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिना लाइसेंस वाले प्लेटफॉर्मों द्वारा पर्ची वाली दवाओं का अनधिकृत वितरण या वैध चिकित्सा पर्ची के बिना दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए इनकी ऑनलाइन बिक्री को विनियमित करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में लागू निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है कि सभी डिजिटल फार्मेसी प्लेटफॉर्म 'औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम' के अंतर्गत निर्धारित फार्मेसी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करें;

(ग) क्या सरकार ने भौतिक खुदरा फार्मेसियों की तुलना में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों द्वारा अपनाए जाने वाले बड़े मूल्य अंतर और अनुचित मूल्य निर्धारण मॉडल के संबंध में उपभोक्ताओं की चिंताओं पर संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैध चिकित्सा पर्ची के बिना अनुसूचित दवाओं की बिक्री से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा चूककर्ता डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ.) स्थानीय खुदरा फार्मेसी मालिकों के लिए निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशिष्ट ई-फार्मेसी नियमों को औपचारिक रूप देने और अधिसूचित करने हेतु योजनाबद्ध भावी नीतिगत रोडमैप का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): औषधियों की ऑनलाइन बिक्री/ई-फार्मेसी का व्यापक रूप से विनियमन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जी.एस.आर. 817(अ) दिनांक 28 अगस्त, 2018 के माध्यम से प्रारूप नियम प्रकाशित किए हैं तथा

ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के विक्रय एवं वितरण के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए नियमों में संशोधन करने हेतु जनसाधारण से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
इन प्रारूप नियमों में ई-फार्मेसी के पंजीकरण, ई-फार्मेसी के आवधिक निरीक्षण, ई-फार्मेसी के माध्यम से दावाओं के वितरण अथवा विक्रय की प्रक्रिया, ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसी की निगरानी आदि से संबंधित प्रावधान हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों सहित ऐसे समझौतों को प्रतिबंधित करती है, जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं अथवा जिनसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इसी प्रकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। जांच के उपरांत किसी उल्लंघन के पाए जाने पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्रतिकारी आदेश जारी करता है, जिनमें संबंधित गतिविधि को बंद करने तथा उससे विरत रहने के निर्देश, समझौतों में आशोधन, मौद्रिक दंड तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य आवश्यक उपाय भी शामिल हैं।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दवाओं के विक्रय एवं वितरण के लिए लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लाइसेंस धारक के लिए लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में राज्य लाइसेंस प्राधिकारी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होते हैं। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, दवाओं का विक्रय केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा अथवा उसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में ही किया जाएगा तथा कोई भी व्यक्ति पंजीकृत चिकित्साक (आरएमपी) की विधिवत् दवा पर्चों के बिना अनुसूची एच, एच-1 तथा एक्स में वर्णित दवाओं का खुदरा विक्रय नहीं कर सकता।

ई-फार्मेसी द्वारा विधिवत् दवा-पर्ची आदि के बिना दवाओं के विक्रय संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर, उनके गुण -दोष के आधार पर मामले को संबंधित राज्य लाइसेंस प्राधिकारी को भेजा जाता है, ताकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके, क्योंकि विक्रय लाइसेंस की शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों को होता है।
